


ACM नाम ३. ५५५५

फर्द अहकाम
शांगीलाल बनाम घाजी

नाम न्यायालय
 केस संख्या 71/21 72

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|-------------|---|--|
| | <p>27/4/26</p> <p>28/4/26</p> <p>7/5/26</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/4/26 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली आज दिनांक 28/4/26 को पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कन्वोलेंस की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/5/26 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील घाजी ने अपील-9 की डेक रिपोर्ट पेश की हुआ कि डेक रिपोर्ट तारीख पूर्ण हो चुकी है कोर उप- नही है अतः डेक रिपोर्ट एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है घाजी अधिवक्ता की एक पक्षीय कक्ष सुनी गई। घाजी अधिवक्ता ने विवेक किया कि विवादित कारगी में घाजी व अपीलकर्ता का शासनाधीन हिस्सा निहित है जिसका विधिक बंधन नहीं हुआ है अपीलकर्ता को विधिक विभाग के विवादित कारगी को सुदूर-सुदूर करना चाहते हैं अतः उनके पांवड़ किया जावे। प्रस्तुत तर्क, दस्तावेजों के अभाव पर उक्त दुरव्या मामला, अपीलकर्ता द्वारा घाजी के पक्ष में प्रतीत होती है अतः उक्त बाल्यता को रोकने के लिए रिक 1.10 को जारी अंतरिम अस्था निषेधाज्ञा को प्रलंबित के निस्तार तक स्वयं किया जावा है। पत्रावली केसव शुभत घेन दालिल पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर अमरगढ़ जयपुर </p> |